सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स० श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'', स०वि०स० श्री पवन कुमार यादव, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री प्रणव कुमार, स०वि०स० श्री राम सिंह, स०वि०स० श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, स०वि०स० श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०	"प्रदेश के दरभंगा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, मोतीहारी, बेगुसराय, मधुबनी, समस्तीपुर समेत राज्य के 89 स्थानों में संचालित / स्थापित गौशाला की हजारों एकड़ भूमि जिसे पूर्वजों ने दान दिया था, उसे भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है । गौशाला के अध्यक्ष अनुमंडलाधिकारी होने के बावजूद भू-माफिया से अवैध कब्जा / अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा है, जबकि मुख्य सचिव एवं सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारियों को गौशालाओं के अवैध कब्जा / अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु कई पत्र लिखे गए किन्तु इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई । अतः प्रदेश के सभी गौशालाओं की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	पशु एवं मत्स्य संसाधन / गृह

2.	श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री संतोष कुमार मिश्र, स०वि०स० श्री विश्व नाथ राम, स०वि०स०	"राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के मामलों की सुनवाई हेतु जिला अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया । जिला अपीलीय प्राधिकार में न्यायिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारी होते हैं । शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या-3716, दिनांक-23.10.2008 में अंकित है कि जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिये गये किसी निर्णय के विरूद्ध कोई पदाधिकारी प्राधिकार के पास कोई अपील नहीं कर सकते हैं लेकिन इसका अनुपालन किसी जिले में नहीं हुआ है । उदाहरणस्वरूप औरंगाबाद जिला अपीलीय प्राधिकार, औरंगाबाद द्वारा बारूण प्रखंड के अंतर्गत 12 शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान का आदेश दिनांक-08.11.2014 को दिया गया जिसके आलोक में वेतन भुगतान किया जा रहा था लेकिन फरवरी, 2020 से उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है । इसी तरह पूरे राज्य में शिक्षकों का विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उनके वेतन के मामलों को लटका कर उनसे वसूली की जाती है । अत: राज्य में शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बरती जा रही अनियमितता की जाँच कराये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2022- 1583/ वि०स०, पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2022- 1583 / वि०स०, पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2022- 1583 / वि०स०, पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / गृह विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/2022- 1583 / वि०स०, पटना, दिनांक- 24 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

24.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।